उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून–248171
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

वाहन नीलामी हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UA07 N4936 टाटा इण्डिगो कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2006 के "जैसा है जहॉ है" के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहन का विक्रय दिनांक 23.01.2015 को अपराह्न 03:00 बजे खुली नीलामी/बोली के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक केताओं को जमानत धनराशि के रूप में रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग हेतु नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा। वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सांय 04.00 बजे से 06.00 बजे तक आयोग परिसर में किया जा सकता है।

निविदा की विस्तृत शर्तें आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी जा सकती है।

Advt. no. 28/14-15 **सचिव**

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून–248171

फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

वाहन की नीलामी हेतु बोलीदाताओं के लिए नियम एवं शर्ते

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 सं0 UA07 N4936 टाटा इण्डिगो कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2006 के "जैसा है जहॉ है" के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहन का विक्रय दिनांक 23.01.2015 को अपराह्न 03:00 बजे खुली बोली के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक केताओं को जमानत धनराशि के रूप में वाहन हेतु रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग लेने से पूर्व नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने के समय से पहले ही जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. जमानत के रूप में जमा की गयी धनराशि बोली समाप्ति पर उच्चतम दरों के दो सफल (प्रथम एवं द्वितीय) बोलीदाताओं की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की राशि तुरन्त वापस कर दी जाएगी।
3. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली छोड़ी जाएगी अथवा उच्चतम सफल बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत धनराशि नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में तत्काल जमा कराना होगा तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी।
4. नीलामी से प्राप्त धनराशि केवल नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा की जा सकती है अन्य माध्यम से जमा धनराशि पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. यदि उच्चतम सफल बोलीदाता नीलामी की शेष धनराशि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरे सफल बोलीदाता के नाम निष्प्रयोज्य वाहन को प्रथम उच्चतम बोलीदाता की दरों पर छोडने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सफल बोलीदाता की धरोहर के रूप में जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह नीलामी को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः नीलामी की कार्यवाही कर सकता है।

7. वाहन की नीलामी गठित विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समिति द्वारा की जाएगी।

8. परिवहन विभाग द्वारा वाहन के निर्धारित मूल्य से कम बोली प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी स्थगित की जा सकती है।

9. वाहन की नीलामी हेतु नीलामी कक्ष में केवल टोकन धारकों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

10. वाहन की विक्रय निविदा उपरान्त प्रथम सफल निविदादाता को वाहन का पंजीकरण स्वंय के नाम पर वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर व्यय का खर्च क्रेता द्वारा स्वंय वहन करना होगा। क्रेता द्वारा वाहन का पंजीकरण हस्तान्तरण किये जाने के उपरान्त ही जमानत राशि रू0 5000/– का ड्राफ्ट क्रेता को वापस किया जाएगा।

11. यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग को भुगतान कर उसकी रसीद/चालान की प्रति वाहन की डिलीवरी लेने पूर्व आयोग में जमा करेगा तत्पश्चात ही वाहन की डिलीवरी आयोग द्वारा दी जाएगी।

12. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में तथा नीलामी की तिथि स्थगित होने या बदलने एवं नीलामी के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

सचिव